राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी–चेतन देवड़ा आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 1/2018

दायर दिनांकः–02.04.2018
निर्णय दिनांकः–27.03.2019

श्री मणीलाल उचित मूल्य दुकानदार, आमझरा–II, तहसील बिछीवाडा, जिला डूंगरपुर (राज0)

प्रार्थी.....

बनाम

1. सरकार जरिये लोक अभियोजक, डूंगरपुर
2. जिला रसद अधिकारी, डूंगरपुर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी, डूंगरपुर रसद/2017/3925 दिनांक 18.09.2017 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत

उपस्थित–1. वकील प्रार्थी– श्री शिवशंकर कटारा, एडवोकेट
2. पेरोकार विपक्षी– प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर

–: निर्णय :–

यह अपील प्रार्थी की ओर से विरूद्व विपक्षी के इस आशय की प्रस्तुत की है कि प्रार्थी की उचित मूल्य की दूकान ग्राम पंचायत आमझरा भाग–2 में संचालित होकर विपक्षी द्वारा बिना किसी गवाहान के कथन दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही उनका प्राधिकार पत्र संख्या 03/1996 विपक्षी द्वारा तत्काल प्रभाव से निर्णय दिनांक 18.09.2017 को प्रतिभूति राशि रूप्या 1000/– जप्त कर प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। प्रार्थी उक्त आदेश से व्यतीथ होकर विपक्षी द्वारा निर्णय/आदेश दिनांक 18.09.2017 को अपास्त कराने यह अपील प्रस्तुत की हैं।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की उचित मूल्य की दूकान ग्राम पंचायत आमझरा भाग–2 स्थित है, जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 3/1996 हैं। विपक्षी द्वारा उनके निर्णय दिनांक 18.09.2017 द्वारा प्रार्थी की उचित मूल्य की दूकान आमझरा भाग–2 का प्राधिकार पत्र संख्या 3/1996 की प्रतिभूति राशि रूपया 1000/– जप्त सरकार का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का ठोस आधार नहीं है। प्राधिकार पत्र संख्या 3/1996 के निरस्ती आदेश त्रुटिपूर्ण है। प्रार्थी ने अपील में यह अंकित किया है कि विपक्षी ने गवाहान के कथन व दस्तावेजों का सही अवलोकन नहीं कर उक्त निर्णय पारित किया जाना न्याय संगत नहीं होकर त्रुटिपूर्ण हैं। प्रार्थी ने अपील में अंकित कर बताया है कि वह निर्दोष हैं, उसकी आपसी वैमनस्यता के कारण झूठा फसाया गया हैं। पोश मशीन में गेहूं कम पाया जाना पोश मशीन में त्रुटि से अंकित हो गया था जिसकी प्रार्थी द्वारा भरपाई कर दी गई हैं। विपक्षी द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का मौका नहीं दिया

Scanned by CamScanner

गया जिससे प्रार्थी अपने दस्तावेज व साक्ष्य विपक्षी को प्रस्तुत नहीं कर सका है। उक्त स्थिति में प्रार्थी को दोषी मानकर उनका प्राधिकार पत्र संख्या 03/1996 निरस्त किया जाना त्रुटिपूर्ण हैं। प्रार्थी विकलांग डीलर होकर गरीब व्यक्ति हैं तथा उक्त मामले में ग्राम पंचायत आमझरा के पदेन सचिव, सरपंच, पटवारी एवं विधायक महोदय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में रिपोर्ट की गई हैं तथापि विपक्षी द्वारा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 03/1996 को निरस्त किया जाने में भारी भुल की हैं। प्रार्थी द्वारा निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर विलम्ब से प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी को विपक्षी द्वारा जारी उक्त निर्णय की जनकारी नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब होना बताया है, जिससे धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर समयावधि में अपील शुमार करने का अनुरोध किया हैं।

उक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रार्थी की उचित मूल्य दूकान ग्राम पंचायत आमझरा–2 का प्राधिकार पत्र संख्या 03/1996 निर्णय दिनांक 18.09.2017 को अपास्त कर प्राधिकार पत्र बहाल करने का प्रार्थी ने अनुरोध किया हैं।

अतः प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी (पैरोकार) ने प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं करने का अनुरोध कर प्रकरण के समस्त तथ्यों को वक्त बहस प्रकट करने का निवेदन किया हैं।

प्रकरण में वकील प्रार्थी एवं विभागीय पैरोकार प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर की बहस समायत की गई। वकील प्रार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को पुनराव्यक्त किये गये।

विभागीय पैरोकार प्रवर्तन निरीक्षक ने बहस में प्रकट किया कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत माह मार्च 2017 का गेहूं उठाव 126 क्विं. किया गया था। वक्त निरीक्षण दिनांक 28.03.2017 को पोश मशीन से वितरण 46 क्विं. होकर शेष स्टाक 80 क्विं. होना चाहिये था, किन्तु भौतिक सत्यापन पर गेहूं का स्टॉक शुन्य पाया गया है। इस प्रकार पोश मशीन के वितरण व स्टॉक अनुसार 80 क्विं. गेहूं का गबन पाया गया। तत्पश्चात् क्षेत्रीय प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा दिनांक 25.04.2017 को आकस्मिक निरीक्षण किया गया। माह अप्रेल, 2017 के पेटे पूर्व स्टॉक निल (Nil), उठाव 128 क्विं. गेहूं किया गया। वक्त निरीक्षण दिनांक 25.04.2017 को पोश मशीन से गेहूं का वितरण 197.06 पाया गया। भौतिक सत्यापन किये जाने पर गेहूं का शेष स्टॉक 60 किलोग्राम पाया गया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा स्टॉक में गेहूं नहीं होते हुए भी 68.46 क्विं. गेहूं का वितरण फर्जी तौर पर पोश मशीन से दर्शाया गया हैं। प्रार्थी ने माह मार्च के गेहूं के उठाव में पोश मशीन अनुरूप 80 क्विं. गेहूं का गबन किया गया तथा माह अप्रेल में पूर्व स्टॉक शुन्य के पश्चात् उठाव 128 क्विं. गेहूं के मुकाबले पोश मशीन से वितरण 197.06 क्विं. किया जाना तथा मौके पर 60 कि.ग्रा. गेहूं स्टॉक में पाया जाना पोश

Scanned by CamScanner

मशीन में फर्जीवाडा को दर्शाता हैं। प्रार्थी के खाद्य सुरक्षा योजना के खाद्यान्न वितरण में अनियमितता स्पष्ट करता हैं। प्रार्थी का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमयन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 8, 11 व 17 (सी) तथा पी.डी.एस. (कन्ट्रोल) आर्डर 2001 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षी राजकीय पैरोकार विभागीय प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थी की अपील खारीज कर जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा जारी निर्णय दिनांक 18.09.2017 को प्रार्थी के प्राधिकार पत्र संख्या 03/1996 के निरस्ती आदेश व प्रतिभूति राशि 1000/– रूपया जप्ती के आदेश को यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

हमारे द्वारा पक्षकारों की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ग्राम पंचायत आमझरा भाग–II की उचित मूल्य का दूकानदार होकर उसका प्राधिकार पत्र संख्या 03/1996 हैं। सर्वप्रथम प्रार्थी ने अपील अन्दर म्याद अवधि में ली जाने धारा–5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसमें प्रार्थी द्वारा निर्धारित अविध में अपील पेश नहीं करने का कारण विपक्षी द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने की जानकारी नहीं होने से अपील देरी से पेश की है जिसकी पुष्टि जिला रसद कार्यालय द्वारा जारी आदेशिका दिनांक 18.09.2018 से होती है। प्रार्थी न्याय से वंचित न हो इसलिए अपील अन्दरम्याद स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा उक्त प्रकरण से संबंधित पत्रावली की प्रस्तुत छायाप्रति का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जवाब अनुसार दिनांक 08.03.2017 को केरोसीन के बेरल पर उनकी नावालिक लड़की ने पोश मशीन रखा था। उक्त मशीन केरोसीन बरेल से नीचे गिर जाने से खराब हो गया। प्रार्थी ने पोश मशीन पंचायत समिति दोवड़ा पर श्री अनिल पटेल से दिनांक 30.03.2017 के ठीक कराई गई। जिसके कारण से उक्त गेहूं वितरण में पोश मशीन में त्रुटि होने से अनियमितता प्रतीत होती हैं। जिला रसद अधिकारी द्वारा उक्त तथ्य की किसी प्रकार की जांच किये बगैर निर्णय पारित करना पाया गया। प्रकरण में जिन राशनधारियों द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध गेहूं वितरण में अनियमितता जाहिर की है वह सभी प्रार्थी के परिवार के होकर वैमनस्यता के कारण झुठा कथन कर फसाया जाने के तथ्य की पुष्टि विपक्षी द्वारा नहीं की गई हैं। ग्राम पंचायत आमझरा के सरपंच, ग्राम सेवक एवं विधायक विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर आदि ने भी प्रार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल करने हेतु अनुरोध किया है। प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के उल्लेख अनुसार माह मार्च में होली का त्यौहार होने तथा पोश मशीन की तकनीकी होने से गेहूं का वितरण रजिस्टर में दर्ज किया जाने का अंकन हैं। इस बावत प्रार्थी के खाद्यान्न वितरण व स्टॉक की जांच का अभाव पाया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में

Scanned by CamScanner

विपक्षी द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाने की पुष्टि जिला रसद कार्यालय के आदेशिका प्रति के अवलोकन से होती हैं। चूंकि प्रार्थी को नोटिस दिये जाने के बाद उनका मात्र जवाब ही प्राप्त किया गया। प्रार्थी को अपना पक्ष व सबूत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये बगैर प्राधिकार पत्र संख्या 03/1996 निरस्त करने का विपक्षी द्वारा आदेश जारी करना पाया जाता है। विपक्षी द्वारा प्रकरण में सम्पूर्ण पहलू पर जांच न कर केवल पोश मशीन की खराबी को नजरन्दाज कर प्राधिकार पत्र निरस्त करना पाया गया। प्रार्थी विकलांग व्यक्ति हैं जो उक्त खाद्यान्न वितरण प्रणाली के तहत राशनधारियों को राशन उपलब्ध करा अपने परिवार का पालन–पोषण करता हैं। उक्त स्थिति में जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर द्वारा प्रार्थी को बगैर सुने व सुनवाई का पर्याप्त अवसर न देकर विकलांग डीलर के साथ न्याय नहीं करना प्रतीत होता है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी की अपील स्वीकार योग्य हैं।

अतः उक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाकर विपक्षी द्वारा ग्राम पंचायत आमझरा के उचित मुल्य दूकान आमझरा–II का प्राधिकार पत्र संख्या 3/96 निरस्ती आदेश दिनांक 18.09.2017 को अपास्त (निरस्त) किया जाता है तथा प्रार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 03/1996 को बहाल रखने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी मौके पर स्टॉक का रिकार्ड से सत्यापन की कार्यवाही करे। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को निर्णय की प्रति पालना हेतु भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner